रजिस्ट्री सं० डी०—(डी)—73

REGISTERED NO. D.-(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 31] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 4, 1979 (श्रावण 13, 1901)

No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 4, 1979 (SRAVANA 13, 1901)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	465
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	949
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	37
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	681
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . .	—
भाग II—खण्ड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें . .	—
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिसमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . .	1959
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	2195
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश .	265
भाग III—खण्ड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	5873
भाग III—खण्ड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	469
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	85
भाग III—खण्ड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . . .	1899
भाग IV—गैर सरकारी व्यक्तियों और गैर सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	99

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notification relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	465
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	949
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	37
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	681
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations.	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1959
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	2195
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	265
PART III—SECTION 1.—Notification issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	5873
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	469
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	85
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	189
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई 1979

सं० 33-प्रेज/79—इस विषय में जारी की गई सभी पहली अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए, निम्नांकित व्यक्तियों के रैंक तथा पूर्वता के संबंध में निम्न सारणी, जिसे राष्ट्रपति ने अनुमोदित कर दिया है, आम सूचना के लिए प्रकाशित की जाती है :—

1. राष्ट्रपति

2. उप-राष्ट्रपति

3. प्रधानमंत्री

4. राज्यों के राज्यपाल अपने-अपने राज्यों में

5. भूतपूर्व राष्ट्रपति

5क. उप प्रधान मंत्री

6. भारत का मुख्य न्यायाधिपति
   लोकसभा का अध्यक्ष

7. केन्द्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री
   राज्यों के मुख्य मंत्री अपने-अपने राज्यों में
   उपाध्यक्ष, योजना आयोग
   राज्य सभा और लोक सभा में विपक्ष के नेता

8. भारत स्थित विदेश के असाधारण तथा पूर्णाधिकारी राजदूत तथा राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त
   राज्यों के मुख्य मंत्री अपने-अपने राज्यों से बाहर
   राज्यों के राज्यपाल अपने-अपने राज्यों से बाहर

9. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश

10. राज्य सभा का उप सभापति
    राज्यों के उप मुख्य मंत्री
    लोक सभा का उपाध्यक्ष
    योजना आयोग के सदस्य
    केन्द्र के राज्य मंत्री

11. भारत का महान्यायवादी (एटार्नी-जनरल)
    मंत्रिमंडल का सचिव
    भारत के नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक (कम्पट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल)
    उप राज्यपाल अपने-अपने संघ शासित क्षेत्रों में

12. फुल जनरल अथवा उसके समान रैंक वाले सेनाध्यक्ष

13. भारत स्थित विदेश के असाधारण दूत तथा पूर्णाधिकारी मंत्री

14. राज्यों के विधान-मंडलों के सभापति और अध्यक्ष अपने-अपने राज्यों में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपति अपने-अपने क्षेत्राधिकार में।

15. राज्यों के मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री अपने-अपने राज्य में
    संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य मंत्री और दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद अपने-अपने संघ शासित क्षेत्रों में
    केन्द्र के उप मंत्री

16. लेफ्टिनेंट जनरल अथवा उसके समान रैंक वाले स्थानापन्न सेनाध्यक्ष

17. अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष
    अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष
    संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष
    मुख्य निर्वाचन आयुक्त
    उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपति अपने-अपने क्षेत्राधिकार से बाहर
    उच्च न्यायालयों के अवर जज अपने-अपने क्षेत्र में

18. राज्यों के मंत्रिमंडलों के मंत्री अपने-अपने राज्य से बाहर
    राज्यों के विधान मंडलों के सभापति और अध्यक्ष अपने-अपने राज्य से बाहर
    मोनोपोली तथा रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रक्टिसेज कमीशन का अध्यक्ष
    राज्य विधान मंडलों के उप सभापति तथा उपाध्यक्ष अपने-अपने राज्यों में
    राज्यों के राज्य मंत्री अपने-अपने राज्यों में
    संघ शासित क्षेत्रों के मंत्री और दिल्ली महानगर परिषद् के कार्यकारी पार्षद अपने-अपने संघ शासित क्षेत्र में
    संघ शासित क्षेत्रों की विधान सभाओं के अध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद् के सभापति अपने-अपने संघ शासित क्षेत्रों में

19. बिना मंत्रिपरिषद् वाले संघ शासित क्षेत्रों के मुख्यायुक्त अपने-अपने क्षेत्रों में
    राज्यों के उपमंत्री अपने-अपने राज्यों में
    संघ शासित क्षेत्रों की विधान सभाओं के उपाध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद् का उप सभापति अपने-अपने संघ शासित क्षेत्रों में

20. राज्यों के विधान मंडलों के उप सभापति तथा उपाध्यक्ष अपने-अपने राज्यों से बाहर
    राज्यों के राज्य मंत्री अपने-अपने राज्यों से बाहर
    उच्च न्यायालयों के अवर जज अपने-अपने क्षेत्राधिकार से बाहर

21. संसद सदस्य

22. राज्यों के उप मंत्री अपने-अपने राज्यों से बाहर

23. आर्मी कमांडर/उप-सेनाध्यक्ष अथवा अन्य सेवाओं में उसके समान पद वाले अधिकारी

राज्यों सरकारों के मुख्य सचिव अपने-अपने राज्य में
भाषाई अल्पसंख्यकों का आयुक्त
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति का आयुक्त
अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति आयोग के सदस्य
फुल जनरल के रैंक के अथवा उसके समान रैंक वाले अधिकारी
भारत सरकार के सचिव (इस पद को पदेन धारण करने वाले अधिकारियों सहित)
अल्पसंख्यक आयोग का सचिव
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग का सचिव
राष्ट्रपति का सचिव
प्रधान मंत्री का सचिव
सचिव, राज्य सभा/लोक सभा
महान्यायाधिकर्ता (सालिसिटर-जनरल)

24. लेफ्टिनेन्ट जनरल के रैंक के अथवा उसके समान रैंक वाले अधिकारी

25. भारत सरकार के अपर सचिव
अपर महान्यायाधिकर्ता (एडीशनल सालिसिटर जनरल)
राज्यों के महाधिवक्ता
टैरिफ आयोग का अध्यक्ष
स्थायी एवं अस्थायी कार्यदूत (चार्ज दि अफैयर्स) तथा स्थानापन्न उच्चायुक्त
संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य मंत्री और दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद अपने-अपने संघ शासित क्षेत्रों से बाहर
राज्य सरकारों के मुख्य सचिव अपने-अपने राज्यों के बाहर
उपनियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक (डिप्टी कम्पट्रोलर एंड आडिटर जनरल)
संघ शासित क्षेत्रों की विधान सभाओं के उपाध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद् का उप सभापति अपने-अपने संघशासित क्षेत्रों से बाहर।
निदेशक, केन्द्रीय अनुसंधान ब्यूरो
महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल
महानिदेशक, केन्द्रीय आरक्षित पुलिस
निदेशक, आसूचना ब्यूरो
उप-राज्यपाल अपने-अपने संघ शासित क्षेत्रों से बाहर
सदस्य, मोनोपोलीज एंड रैस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रेक्टिसेज कमीशन
सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग
संघ शासित क्षेत्रों के मंत्री और दिल्ली के कार्यकारी पार्षद अपने-अपने संघ शासित क्षेत्रों के बाहर
मेजर जनरल के रैंक के अथवा समान रैंक वाले सशस्त्र सेनाओं के प्रिंसिपल स्टाफ आफिसर्ज
संघ शासित क्षेत्रों की विधान सभाओं के अध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद का सभापति अपने-अपने संघ शासित क्षेत्रों से बाहर

26. भारत सरकार के संयुक्त सचिव और उनके समान रैंक वाले अधिकारी
मेजर जनरल के रैंक के अथवा उसके समान रैंक वाले अधिकारी

नोट 1—इस पूर्वता सारणी का क्रम राजकीय समारोहों के लिये है और सरकार के दिन-प्रतिदिन के कार्य संचालन पर लागू नहीं होता।

नोट 2—सारणी में व्यक्तियों की पूर्वता अनुच्छेदों (आर्टिकल्स) की संख्या के क्रम में होगी। एक ही अनुच्छेद की प्रविष्टियां वर्ण क्रमानुसार रखी गई हैं, जिनका नाम एक ही अनुच्छेद में दिया गया है, उनकी परस्पर पूर्वता उस अनुच्छेद में प्रविष्टि की गिनती के अनुसार नियत होगी। किन्तु जब कभी एक ही अनुच्छेद में प्रविष्टि विभिन्न राज्यों अथवा संघ शासित क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्ति अपने राज्यों अथवा संघ शासित क्षेत्रों के बाहर किसी समारोह में उपस्थित होंगे और उनकी प्रविष्टि की गिनती निर्धारित करना कठिन होगा, तब उनकी परस्पर पूर्वता, उन लोगों के बाद जिनकी पूर्वता अनुच्छेद में प्रविष्टि की गिनती के आधार पर निर्धारित हो जायेगी; राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के नामों के वर्ण क्रमानुसार नियत की जा सकती है।

नोट 3—अनुच्छेद 7 में, राज्य में होने वाले सरकारी समारोहों में संबंधित मुख्य मंत्री को संघ के मंत्रिमण्डल स्तर के मंत्री (मंत्रियों) से पूर्वता प्रदान की जायेगी।

नोट 4—अनुच्छेद 8 में—

(क) भारत में असाधारण राजदूत तथा पूर्णाधिकारी तथा राष्ट्र मण्डलीय देशों के उच्चायुक्तों को विभिन्न राज्यों के राज्य पालों से उनके सम्बन्धित राज्यों में बाहर सामूहिक रूप से पूर्वता प्राप्त होगी;

(ख) राज्यों के राज्यपालों को अपने-अपने राज्यों से बाहर सामूहिक रूप से अपने राज्यों से बाहर मुख्य मंत्रियों से पूर्वता प्राप्त होगी;

नोट 5—गणमान्य विदेशी व्यक्तियों और भारतीय राजदूतों, उच्चायुक्तों और पूर्णाधिकारी मंत्रियों को उनके भारत आने पर विदेश मंत्रालय उपयुक्त पूर्वता प्रदान करेगा।

नोट 6—अनुच्छेद 10 में, राज्यों के उप मुख्य मंत्री अपने राज्यों से बाहर होने पर इस अनुच्छेद में दिये गये अन्य सभी गणमान्य व्यक्तियों से नीचे स्थान क्रम पायेंगे।

नोट 7—एक ही तिथि को निर्वाचित होने की अवस्था में, राज्यों की विधान परिषदों के सभापतियों का स्थान विधान सभाओं के अध्यक्षों से पूर्व होगा।

नोट 8—उन बड़े राजकीय समारोहों में जहां संसद सदस्यों को सामूहिक रूप से आमंत्रित किया जाता है उनके लिये सुरक्षित स्थान मुख्य न्यायाधिपति, लोकसभा के अध्यक्ष, राजदूतों आदि के तुरन्त बाद होना चाहिये।

नोट 9—संघ शासित क्षेत्रों की विधान सभाओं के अध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद के सभापति का स्थान उसी अनुच्छेद (आर्टिकल) में समाविष्ट मंत्रियों और कार्यकारी पार्षदों से पूर्व होगा।

नोट 10—अनुच्छेद 23 में—

(क) विदेश मंत्रालय में विदेश सचिव के अलावा अन्य सचिव आपस में भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड 1 में अपनी वरिष्ठता के अनुसार पूर्वता ग्रहण करेंगे और वे दोनों विदेश सचिव के बाद पूर्वता ग्रहण करेंगे।

(ख) अल्पसंख्यक आयोग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्यों को इन आयोगों के सचिवों से हमेशा ही पूर्वता प्राप्त होगी।

(ग) दिल्ली/नई दिल्ली में होने वाले सरकारी समारोहों में आर्मी कमांडर्स/उप सेनाध्यक्ष तथा अन्य सेवाओं में उनके समकक्ष अधिकारी हमेशा ही भारत सरकार के सचिवों के बाद स्थान ग्रहण करेंगे।

नोट 11—अनुच्छेद 25 में—

(क) विदेश मंत्रालय में अपर सचिव आपस में भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड II में अपनी वरिष्ठता के अनुसार पूर्वता ग्रहण करेंगे,

(ख) अपर महान्यायाधिवक्ता को राज्यों के महाधिवक्ता से ऊपर पूर्वता प्राप्त होगी;

(ग) उपराज्यपालों को मुख्य मंत्रियों तथा दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद से ऊपर पूर्वता प्राप्त होगी और मुख्य मंत्रियों तथा मुख्य कार्यकारी पार्षद, दिल्ली को विधान सभाओं के अध्यक्षों और दिल्ली महानगर परिषद के सभापति से ऊपर पूर्वता प्राप्त होगी;

(घ) संघ शासित क्षेत्रों की विधानसभाओं के उपाध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद का उप सभापति संघ शासित क्षेत्रों के मंत्रियों तथा दिल्ली के कार्यकारी पार्षदों के बाद पूर्वता ग्रहण करेंगे।

नोट 12—अनुच्छेद 26 के प्रयोजन के लिये यह बात गृह मंत्रालय निर्धारित करेगा कि किन अधिकारियों के पद भारत सरकार के संयुक्त सचिवों पदों के समान हैं।

के० सी० मादप्पा
राष्ट्रपति के सचिव

योजना मंत्रालय

सांख्यिकी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई 1979

संकल्प

सं० एच० 11021/22/79-समन्वय—सरकारी योजनाओं तथा निर्णय लेने के उद्देश्य से सांख्यकीय आंकड़ों की आवश्यकताओं के सदर्भ में, राष्ट्रीय सांख्यकीय पद्धति में विकास कर उसकी और अधिक प्रभावोत्पादक तथा सक्षम बनाने हेतु उसके पुनर्गठन का प्रश्न कुछ समय पूर्व से भारत सरकार के विचाराधीन रहा है। प्राप्त अनुभवों तथा समय-समय पर की गई समीक्षाओं से कुल मिलाकर वा सांख्यकीय कार्य पद्धति में भिन्नताएं दिखाई दी हैं। यह भी अनुभव किया गया है कि केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन तथा राज्यों के सांख्यकीय कार्यालयों और विश्वविद्यालय के सांख्यकी विभागों के बीच अच्छा सम्पर्क होना चाहिए। इस प्रकार यह अनिवार्य हो जाता है कि अनुलिपिकरण संगठन तथा सांख्यकीय आंकड़ों के एकत्रीकरण में होने वाला अपव्यय को रोकने और एक अच्छी समन्वय प्रणाली बनाने के लिए इनको निकाल कर राष्ट्रीय सांख्यकीय प्रणाली को सरल और कारगर बनाया जाए इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इन मामलों को ध्यानपूर्वक देखने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का (हाई पावर कमेटी) गठन करने का निश्चय किया है।

2. समिति में निम्नलिखित व्यक्ति हों :—

(1) श्री कृपा नारायण, सचिव, सांख्यकी, विभाग — अध्यक्ष

(2) प्रो० पी० के० बोस, कलकत्ता विश्वविद्यालय — सदस्य

(3) प्रो० सी० पी० अधिकारी, भारतीय सांख्यकीय संस्थान कलकत्ता। — सदस्य

(4) डा० नरोत्तम शाह, सेन्टर फार मानिटरिंग इंडियन इकोनोमी — सदस्य

(5) श्री पद्मनाभा, भारत के महापंजीकार, नई दिल्ली — सदस्य

(6) डा० सी० मिश्र, निदेशक, राज्य सांख्यकीय कार्यालय उड़ीसा। — सदस्य

(7) डा० के० सी० सील, निदेशक, केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन, सांख्यकी विभाग। — सदस्य-सचिव

यह समिति उप-समूह कार्यकारी दलों की नियुक्ति कर सकेगी जिनकी समय-समय पर आवश्यकता होगी।

3. समिति के कार्य निम्नलिखित होंगे :—

(क) केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन द्वारा आंकड़ों का संग्रहण तथा समाकलन के लिए संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा करना।

(ख) केन्द्र तथा राज्यों में एक उपयुक्त प्रतिमान की प्रभावात्मक संरचना के लिए सुझाव देना, राष्ट्रीय सांख्यकीय प्रणाली को विकसित प्रभावशाली एवं कारगर बनाया जा सके जिससे कि आंकड़ा संग्रहण तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया और अधिक उपयोगी भूमिका निभा सके।

(ग) एक ओर केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन तथा राज्य सांख्यकीय कार्यालयों में तथा दूसरी ओर विश्वविद्यालयों/अनुसंधान तथा अन्य संस्थानों के बीच निकट और उत्पादक सम्पर्क स्थापित करने के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों के बारे में सुझाव देना।

(घ) सांख्यकीय प्रतिमानों तथा मानकों के विकास तथा अनुरक्षण में केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन द्वारा उचित समन्वय के लिए सुझाव देना।

(ङ) सांख्यकीय अधिनियम, 1953 के अनुसार संग्रहण कार्य की समीक्षा तथा और अधिक प्रभावी नियंत्रण और समन्वय प्रस्तुत करने के लिए व्यापक विधान का सुझाव देना तथा अधिनियम के अंतर्गत संग्रहण कार्य की पुनरावृत्ति से बचाना।

4. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा समिति बहरहाल उन क्षेत्रों के दौरे कर सकेगी जहां ऐसे दौरे अनिवार्य होंगे।

5. समिति अपनी रिपोर्ट अपनी गठन की तारीख से चार महीने की अवधि के अन्दर भारत सरकार को प्रस्तुत करेगी।

6. सांख्यकीय विभाग, समिति को सचिवालिक सहायता प्रदान करेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र भाग-I खण्ड-1 में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों और अन्य सम्बन्धित प्रशासनों को भेज दी जाए।

आर० एन० सक्सेना, उप सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 27 जून 1979

सं० एच० 11021/2/79-समन्वय—मूल्य एवं मात्रा सांख्यकी विषयक कार्यकारी दल के गठन के सम्बन्ध में इस विभाग की दिनांक 30-5-1979 की सम संख्यक अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए कार्यकारी दल की संरचना सम्बन्धी उक्त अधिसूचना के अनुच्छेद 1 की क्रम संख्या 4 और 7 के सामने निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाती हैं :—

4. आर्थिक सलाहकार, उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
7. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यकी कार्यालय, आंध्र प्रदेश सरकार हैदराबाद।	"

के० सी० श्रीवास्तव, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई, 1979

संकल्प

सं० एफ (हज) 118-1/21/78—भारत सरकार ने दिनांक 12 जून, 1979 के समसंख्यक संकल्प के अन्तर्गत वर्ष 1979-80 के लिए केन्द्रीय हज सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है जिसमें 25 सदस्य हैं।

2. संसद् सदस्य श्री एम० एच० [illegible], संसद सदस्य वर्ष 1979-80 के लिए पुनर्गठित केन्द्रीय हज सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष होंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसद कार्य विभाग, लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय, सभी राज्य सरकारों, केन्द्र शासित क्षेत्रों, हज समिति बम्बई, सभी हज समितियों और मैसर्स मुगल लाइन लिमिटेड बम्बई को सूचनार्थ भेज दी जायें ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

बी० के० ग्रोवर, संयुक्त सचिव
(बाना एवं हज)

उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक विकास विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 11 जुलाई 1979

संकल्प

सं० 02012/4/76-नमक—नमक उद्योग की समस्याओं की व्यापक समीक्षा करने तथा इसके विकास के लिए उचित अभ्युपाय सुझाने हेतु भारत सरकार ने उद्योग मंत्रालय (औ० वि० वि०) के संकल्प सं० 02012/4/76-नमक दिनांक 30 नवम्बर, 1978 द्वारा उद्योग राज्य । मंत्री श्रीमती आभा माईति की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की थी, जिसमें दिनांक 25 जनवरी, 1979 तथा 21 अप्रैल, 1979 के संकल्प सं० 02012/4/76-नमक द्वारा संशोधन किया गया था। समिति से छः महीने की अवधि में अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था।

2. भारत सरकार ने अब समिति की अवधि 30 सितम्बर, 1979 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है और समिति उस तारीख तक अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर देगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि योजना आयोग, मंत्रिमण्डल सचिवालय प्रधानमंत्री का कार्यालय व सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों सहित भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को इस संकल्प की एक प्रति भेजी जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

मनीष बहल, संयुक्त सचिव

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 जुलाई, 1979

संकल्प

विषय:—वानिकी अनुसन्धान तथा शिक्षा परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति ।

सं० 12-8/78-एफ० आर० वाई०-I: - भारत सरकार ने इस मंत्रालय के संकल्प सं० 12-4/75 एफ० आर० वाई०-I दिनांक 29 मई, 1978 के अनुसार गठित वानिकी अनुसन्धान तथा शिक्षा परिषद के पहले नियुक्त किये गये सदस्यों के अतिरिक्त योजना आयोग के सलाहकार (कृषि) को परिषद का सदस्य नियुक्त करने का निर्णय किया है।

2. परिषद की बैठकों में भाग लेने के लिये उपर्युक्त सदस्य को यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता पूर्वक उनके नियोक्ता द्वारा वहन किया जायेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रति भारत सरकार के समस्त मन्त्रालयों और विभागों, समस्त राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों योजना आयोग, मन्त्रिमण्डल सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मन्त्री कार्यालय भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षा को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सार्वजनिक के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

एन० डी० जयाल, संयुक्त सचिव

समाज कल्याण विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 13 जुलाई 1979

संकल्प

सं० 1-32/77-सी० एस० डब्ल्यू० बी०—इस विभाग के 22 अप्रैल, 1978 के संकल्प संख्या 1-32/77-सी० एस० डब्ल्यू० बी० के आंशिक आशोधन में भारत सरकार श्री बी० के० शर्मा के स्थान पर श्री जे० एस० उप्पल, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के साधारण निकाय में नामित करती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति निम्नलिखित को भेजी जाए :—

1. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सब सदस्य
2. सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेश प्रशासन
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
4. राष्ट्रपति सचिवालय।
5. योजना आयोग।
6. प्रधान मंत्री कार्यालय।
7. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय
8. मंत्रि मण्डल सचिवालय ।
9. पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली।
10. महा लेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली।
11. कम्पनी कार्य विभाग, नई दिल्ली।
12. क्षेत्रीय निदेशक, कम्पनी विधि बोर्ड, कानपुर।
13. कम्पनियों के रजिस्ट्रार, नई दिल्ली।
14. सचिव, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली।
15. सभी अध्यक्ष, राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को साधारण जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

बी० एन० बहादुर, उप सचिव

ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत् विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई 1979

संकल्प

सं० 2/10/79-यू० एस० डी०-IV (.)—पूर्वी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड में सिक्किम राज्य को प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से उक्त बोर्ड के गठन संबंधी संकल्प में संशोधन करने का निर्णय किया गया है। इस निर्णय के अनुसरण में, संकल्प सं० बिजली-बो-34(10)/77 दिनांक 12 जुलाई, 1977 द्वारा यथा संशोधित, पूर्वी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड के गठन संबंधी संकल्प सं० ई० एल० बो-35(7)/63 दिनांक 6 मार्च, 1964 के पैरा 2 का पुनर्गठन नीचे लिखे अनुसार किया जाएगा :—

1. अध्यक्ष, बिहार राज्य बिजली बोर्ड।
2. अध्यक्ष, दामोदर घाटी निगम।
3. अध्यक्ष, उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड।
4. अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड

5, 6 और 7 एक प्रतिनिधि, यदि कोई हो, जो पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सरकारों में से प्रत्येक के द्वारा समय-समय पर नामित किया गया हो।

8. प्रबन्ध निदेशक, दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड।

9. अपर मुख्य इंजीनियर, विद्युत विभाग, सिक्किम सरकार।

10. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि।

11. सदस्य-सचिव।

ऊपर (1) और (4) में लिखित सदस्य, बारी-बारी से एक एक वर्ष के लिए, इस क्षेत्रीय बिजली बोर्ड के अध्यक्ष होंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त संकल्प पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम और उड़ीसा की सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों को, दामोदर घाटी निगम को, दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, को पूर्वी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को, भारत सरकार के मंत्रालयों को, प्रधान मन्त्री के कार्यालय को, राष्ट्रपति के सचिव को, योजना आयोग को और भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक को सूचित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एस० रमेश, संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th July, 1979

No. 33-Pres/79.—In supersession of all previous notifications issued on the subject, the following Table, with respect to the rank and precedence of the persons named therein which has been approved by the President, is published for general information:—

1. President.

2. Vice-President.

3. Prime Minister.

4. Governors of States within their respective States.

5. Former Presidents.

5A. Deputy Prime Ministers.

6. Chief Justice of India.
   Speaker of the Lok Sabha.

7. Cabinet Ministers of the Union.
   Chief Ministers of States within their respective States.
   Deputy Chairman, Planning Commission.
   Leaders of Opposition in the Rajya Sabha and the Lok Sabha.

8. Ambassadors Extraordinary and Plenipotentiary and High Commissioners of Commonwealth countries accredited to India.
   Chief Ministers of States outside their respective States.
   Governors of States outside their respective States.

9. Judges of the Supreme Court.

10. Deputy Chairman, Rajya Sabha.
    Deputy Chief Ministers of States.
    Deputy Speaker, Lok Sabha.
    Members of the Planning Commission.
    Ministers of State of the Union.

11. Attorney General of India.
    Cabinet Secretary.
    Comptroller and Auditor-General of India.
    Lieutenant Governors within their respective Union Territories.

12. Chiefs of Staff holding the rank of full General or equivalent rank.

13. Envoys Extraordinary and Ministers Plenipotentiary accredited to India.

14. Chairman and Speakers of State Legislatures within their respective States.
    Chief Justice of High Courts within their respective jurisdictions.

15. Cabinet Ministers in States within their respective States.
    Chief Ministers of Union Territories and Chief Executive Councillor, Delhi, within their respective Union Territories.
    Deputy Ministers of the Union.

16. Officiating Chiefs of Staff holding the rank of Lieutenant General or equivalent rank.

17. Chairman, Minorities Commission.
    Chairman, Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission.
    Chairman, Union Public Service Commission.
    Chief Election Commissioner.
    Chief Justices of High Courts outside their respective jurisdictions.
    Puisne Judges of High Courts within their respective jurisdictions.

18. Cabinet Ministers in States outside their respective States.
    Chairman and Speakers of State Legislatures outside their respective States.
    Chairman Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission.
    Deputy Chairman and Deputy Speakers of States Legislatures within their respective States.
    Ministers of State in States within their respective States.
    Ministers of Union Territories and Executive Councillors, Delhi, within their respective Union Territories.
    Speakers of Legislative Assemblies in Union Territories and Chairman of Delhi Metropolitan Council within their respective Union Territories.

19. Chief Commissioner of Union Territories not having Councils of Ministers, within their respective Union Territories.
    Deputy Ministers in States within their respective States.
    Deputy Speakers of Legislative Assemblies in Union. Territories and Deputy Chairman of Metropolitan Council Delhi, within their respective Union Territories.

20. Deputy Chairman and Deputy Speakers of State Legislatures, outside their respective States.
    Ministers of State in States, outside their respective States.
    Puisne Judges of High Courts outside their respective jurisdictions.

21. Members of Parliament.

22. Deputy Ministers in States outside their respective States.

23. Army Commanders/Vice Chief of the Army Staff or equivalent in other Services.
    Chief Secretaries to State Governments within their respective States.
    Commissioner for Linguistic Minorities.
    Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
    Members, Minorities Commission.
    Members, Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission.

Officers of the rank of full General or equivalent rank.

Secretaries to the Government of India (including officers holding this office ex-officio).

Secretary, Minorities Commission.

Secretary, Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission.

Secretary to the President.

Secretary to the Prime Minister.

Secretary, Rajya Sabha/Lok Sabha.

Solicitor General.

24. Officers of the rank of Lieutenant General or equivalent rank.

25 Additional Secretaries to the Government of India.

Additional Solicitor General.

Advocate Generals of States.

Chairman, Tariff Commission.

Charge d' Affairs and Acting High Commissioners *a pied* and *ad interim*.

Chief Ministers of Union Territories and Chief Executive Councillor, Delhi, outside their respective Union Territories.

Chief Secretaries of States Government outside their respective States.

Deputy Comptroller and Auditor General.

Deputy Speakers of Legislative Assemblies in Union Territories and Deputy Chairman, Delhi Metropolitan Council, outside their respective Union Territories.

Director, Central Bureau of Investigation.

Director General, Border Security Force.

Director General Central Reserve Police.

Director, Intelligence Bureau.

Lieutenant Governors outside their respective Union Territories.

Members, Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission.

Members, Union Public Service Commission.

Ministers of Union Territories and Executive Councillor, Delhi, outside their respective Union Territories.

Principal Staff Officers of the Armed Forces of the rank of Major General or equivalent rank.

Speakers of Legislative Assemblies in Union Territories and Chairman of Delhi, Metropolitan Council, outside their respective Union Territories.

26. Joint Secretaries to the Government of India and officers of equivalent rank.

Officers of the rank of Major-General or equivalent rank.

NOTE 1. The order in this Table of Precedence is meant for State and ceremonial occasions and has no application in the day-to-day business of Government.

NOTE 2. Persons in the Table of Precedence will take rank in order of the number of the articles. The entries in the same article are arranged alphabetically. Those included in the same article will take precedence *inter se* according to date of entry into that article. However, where the dignitaries of different States and Union Territories included in the same article are present at a function outside their States or Union Territories and there is difficulty in ascertaining their dates of entry, they may be assigned precedence *inter se* in the alphabetical order of the name of States and Union Territories concerned after those whose precedence is determined according to date of entry into that article.

NOTE 3. In Article 7, the Chief Minister concerned will take precedence over the Cabinet Minister (s) of the Union in official functions held in the State.

NOTE 4. In Article 8—

(a) Ambassadors Extraordinary and Plenipotentiary and High Commissioner of Commonwealth countries accredited to India will *en bloc* rank above Governors of State outside their respective States;

(b) Governors of States outside their respective States will *en bloc* rank above Chief Ministers of States outside their respective States.

NOTE 5. The Ministry of External Affairs may assign appropriate ranks to foreign dignitaries and Indian Ambassadors, High Commissioners and Ministers Plenipotentiary during their visit to India.

NOTE 6. In Article 10, the Deputy Chief Ministers of States outside their respective States will always rank below all other dignitaries figuring in this article.

NOTE 7. The Chairmen of State Legislative Councils will rank above the Speakers of Legislative Assemblies in cases where they were elected on the same date.

NOTE 8. When Members of Parliament are invited *en bloc* to major State functions, the enclosures reserved for them should be next to the Chief Justice, Speaker of the Lok Sabha, Ambassadors etc.

NOTE 9. Speakers of Legislative Assemblies in Union Territories and Chairman of the Delhi Metropolitan Council, Delhi, will take precedence over Ministers and Executive Councillors, included in the same article.

NOTE 10. In Article 23—

(a) Secretaries in the Ministry of External Affairs other than the Foreign Secretary between themselves, will take precedence in the order of their seniority in Grade I of the Indian Foreign Service and both of them will take precedence after the Foreign Secretary;

(b) Members of the Minorities Commission and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission will always take precedence over the Secretaries of these Commissions;

(c) In official functions held at Delhi/New Delhi, Army Commanders/Vice Chief of the Army Staff or equivalent in other Services will always rank after Secretaries to the Government of India.

NOTE 11. In Article 25—

(a) Additional Secretaries in the Ministry of External Affairs, among themselves, will take precedence in the order of their seniority in Grade II of the Indian Foreign Service;

(b) Additional Solicitor General will take precedence above the Advocate Generals of States;

(c) Lieutenant Governors will take precedence over the Chief Ministers and Chief Executive Councillor, Delhi, and the latter will take precedence over Speakers of Legislative Assemblies and Chairman, Metropolitan Council, Delhi;

(d) Deputy Speakers of Legislative Assemblies of Union Territories and Deputy Chairman of Delhi Metropolitan Council will take precedence after Ministers of Union Territories and Executive Councillors, Delhi.

NOTE 12. For the purpose of Article 26, the posts equivalent to the posts of Joint Secretaries to the Government of India will be determined by the Ministry of Home Affairs.

K. C. MADAPPA,
Secy. to the President

MINISTRY OF PLANNING

DEPARTMENT OF STATISTICS

New Delhi, the 7th July 1979

RESOLUTION

No. H-11021/22/79-Coord.—The question of re-structuring of the national statistical system with a view to improving its efficiency and efficacy in the context of the requirements of statistical data for purposes of planning and decision making in the Government has been under consideration of the Government of India for some time. Experience as well as reviews conducted from time to time have shown some gaps and differences in the Statistical System. It has also been felt that there should be a better liaison between the Central Statistical Organisation, State Statistical Bureaus and the Department of Statistics of the Universities. It has thus become imperative that the national statistical system should be streamlined with a view to eliminate duplication, overlapping and wastage in collection of statistical data as also setting up a well-coordinated system. With this object in view, the Government of India has decided to appoint a high-powered committee to go into these matters carefully.

2. The Committee will consist of :—

Chairman

1. Shri Kripa Narain, Secretary, Department of Statistics.

Members

2. Prof. P. K. Bose, Calcutta University.
3. Prof. B. P. Adhikari, Indian Statistical Institute, Calcutta.
4. Dr. Narottam Shah, Centre for Monitoring Indian Economy.
5. Shri P. Padmanabha, Registrar-General of India, New Delhi.
6. Dr. C. Misra, Director, State Statistical Bureau, Orissa.

Member-Secretary

7. Dr. K. C. Seal, Director, Central Statistical Organisation, Department of Statistics.

The Committee may appoint such working-groups as it may deem necessary from time to time.

3. The terms of reference of the Committee will be as follows :—

(a) To review the organisational set-up for collection and compilation of statistics by the Central Ministries, State Governments and Union Territories Administration.

(b) To suggest a suitable model of an effective organisational structure at the Centre and in the States with a view to evolving/streamlining the National Statistical System so that it can play a more useful role in not only data collection but also in decision making process.

(c) To suggest steps needed to establish a close and productive liaison between the CSO and the State Statistical Bureaus on the one hand and the Department of Statistics of Universities/Research and other Institutions.

(d) To suggest measure for proper co-ordination by the CSO in the development and maintenance of statistical norms and standards.

(e) To review the working of the collection of Statistics Act, 1953 and to suggest comprehensive legislation for providing more effective control and co-ordination of, and avoiding duplication in the collection of statistical data under the Act.

4. The Committee will have its headquarters at New Delhi. The Committee, may, however, undertake such field visits as may be necessary.

5. The Committee would submit its report to the Government of India within a period of four months from the date of its constitution.

6. The Department of Statistics will provide secretarial assistance to the Committee.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India, Part I, Section 1.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to all the Ministries/Departments to the Government of India/All State Governments/Administrations of Union Territories and all others concerned.

R. N. SAXENA, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY

New Delhi-110001, the 27th June 1979

No. H-11021/2/79-Coord.—In partial modification of this Department Notification of even number dated 30-5-1979 regarding setting up of the working Group on Price & Quantity Statistics, the following entries are substituted against serial Nos. 4 and 7 of para 1 of the aforesaid notification pertaining to composition of the Working Group.

Members

4. Economic Adviser,
Ministry of Industry,
New Delhi.

7. Director, Bureau of Economics & Statistics,
Government of Andhra Pradesh,
Hyderabad.

K. C. SRIVASTAVA
Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi-110011, the 20th July 1979

RESOLUTION

No. M(Haj)118-1/21/78.—The Government of India have reconstituted the Central Haj Advisory Board for the year 1979-80 with 25 members vide Resolution of even number dated 12th June, 1979.

2. Alhaj Shri M. A. Hannan, M.P., shall be the Chairman of the reconstituted Central Haj Advisory Board for the year 1979-80.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all Ministries of the Government of India, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha & Rajya Sabha Secretariats, all State Governments, Centrally administered areas, the Haj Committee, Bombay, all State Haj Committees & M/s Mogul Line Ltd., Bombay for information.

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

V. K. GROVER, Jt. Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

New Delhi, the 11th July 1979

RESOLUTION

No. 02012/4/76-Salt.—A high-level Committee under the Chairmanship of Smt. Abha Maiti, Minister of State for Industry was constituted by the Government of India to undertake a comprehensive review of the problems facing salt industry and to suggest suitable measures for the development of salt industry vide Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Resolution No. 02012/4/76-Salt dated 30th November 1978 as amended by Resolution No. 02012/4/76-Salt dated 25th January 1979 and 21st April 1979. The Committee was required to submit its Report to Government within a period of six months.

2. The Government of India have decided to extend the term of the Committee up to 30th September 1979 and the Committee shall submit its Report to Government by that date.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the Ministries/Departments of Government of India including Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office and all the State Governments/Union Territories.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

MANISH BAHL
Jt. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE)

New Delhi, the 20th July 1979

RESOLUTION

Subject:—Council for Forestry Research & Education—Appointment of members on the

No, 12-8-78-FRY-I.—The Government of India have decided to appoint the Adviser (Agri.), Planning Commission as a member of the Council for Forestry Research & Education, constituted *vide* this Ministry's Resolution No. 12-4/75-FRY-I dated the 29th May, 1978, in addition to the members already appointed.

2. Travelling Allowance and Daily Allowance and Daily Allowance of the above member for attending the meetings of the Council will, as usual be borne by his employer.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries and Departments of the Govt. of India and all the State Govts. and Union Territories, Planning Commission, Cabinet Secretariat, President's Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

N. D. JAYAL, Jt. Secy.

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

New Delhi-110001, the 13th July 1979

RESOLUTION

No. 1-32/77-CSWB(Vol.II).—In partial modification of this Department's Resolution No. 1-32/77-CSWB dated 22nd April 1978, the Government of India is pleased to nominate Shri J. S. Uppal, Joint Secretary, Department of Rural Development on the General Body of the Central Social Welfare Board *vice* Shri B. K. Sharma.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to :—

1. All Members of the Central Social Welfare Board.
2. All the State Governments/Union Territories.
3. All the Ministries/Departments of the Government of India.
4. President's Secretariat.
5. Planning Commission.
6. Prime Minister's Office.
7. Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariats.
8. Cabinet Secretariat.
9. Press Information Bureau, New Delhi.
10. The Accountant General Central Revenue, New Delhi.
11. Department of Company Affairs, New Delhi.
12. Regional Director, Company Law Board, Kanpur.
13. Registrar of Companies, New Delhi.
14. Secretary, C.S.W.B., New Delhi.
15. All Chairman, State Social Welfare Advisory Boards.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

B. N. BAHADUR, Dy. Secy.

MINISTRY OF ENERGY
(DEPTT. OF POWER)

New Delhi, the 13th July 1979

RESOLUTION

No. 2/10/79-USD.IV( ).—With a view to give representation to the State of Sikkim on the Eastern Regional Electricity (EREB), it has been decided to amend the Resolution relating to the constitution of the Board. In pursuance thereof, para 2 of the Resolution No. EL.II-35(7)/63 dated 6th March, 1979 relating to the composition of the EREB as amended vide Resolution No. EI-II-34/10/77 dated 12th July, 1977 shall be re-constituted as follows :—

1. The Chairman, Bihar State Electricity Board.
2. The Chairman, Damodar Valley Corporation.
3. The Chairman, Orissa State Electricity Board.
4. The Chairman, West Bengal State Elecy. Board
5, 6&7. A representative, if any, that may be nominated by each of the Governments of West Bengal, Bihar and Orissa, from time to time.
8. Managing Director, Durgapur Projects Ltd.
9. Additional Chief Engineer, Deptt. of Power, Government of Sikkim.
10. A representative of the Central Electricity Authority.
11. The member Secretary.

The Members at (1) & (4) above shall be the Chairman of the Regional Electricity Board, by rotation, for one year each.

ORDER

ORDERED that the above Resolution be communicated to the Governments and State Electricity Boards of West Bengal, Bihar, Sikkim and Orissa, the Damodar Valley Corporation, the Durgapur Projects Limited, the Eastern Regional Electricity Board, the Central Electricity Authority, the Ministries of the Government of India, Prime Minister's Office, the Secretary to the President, the Planning Commission and to the Comptroller and Auditor General of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India.

S. RAMESH
Jt. Secy.